

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

आदर्श कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
मुख्य कार्यालय :- "आदर्श भवन" तीन
बट्टी, पोस्ट बॉक्स नं. 32, सिरोही-
307001 (राजस्थान)
अन्य शाखा :- आदर्श कॉ-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड, मंडिया रोड, ऑपोजिट
एल/सी बिल्डिंग, पाली-304601
(राजस्थान) जरिये प्राधिकृत अधिकारी
शैतान सिंह इन्द्रा

1. श्रीमति निशा एजेन्सी प्रो. श्री महेन्द्र सिंह
पुत्र सुख सिंह
29, गणेश नगर, एनआर. आउटरिच
मिशन स्कूल, पाली-306401 (राजस्थान)
2. श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुख सिंह
29, गणेश नगर, एनआर. आउटरिच
मिशन स्कूल, पाली- 306401 (राजस्थान)
3. श्री लक्ष्मण सिंह. पुत्र श्री घिसु सिंह
345, सुभाष नगर, पाली- 306401
(राजस्थान)

किस्म मुकदमा :: विविध 117/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2021/309

धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial
Assests and Enforcement of Security interest Act 2002

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-11-21	<p>प्रार्थी की ओर से उनके प्राधिकृत अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश कर प्रार्थी के पास साम्यिक बंधक संपत्ति की कुर्की व उससे संबंधित कागजात दिलवाने हेतु पुलिस जाप्ते हेतु आदेश जारी कराने का निवेदन किया।</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली अवलोकन पर पाया गया कि अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 13(2) के रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित तामीलसुदा नोटिस पत्रावली संलग्न नहीं होने से प्रार्थी को धारा 13(2) का तामीलसुदा नोटिस 15 दिनों में पेश करने हेतु हिदायत दी गई। तत्पश्चात प्रार्थी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 22.10.2021 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा उक्त खाता बंद करवा दिये जाने से उक्त आवेदन पूनः लौटाने हेतु निवेदन किया। चूँकि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाता बंद करवा दिया गया है अतः वर्तमान में इस प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।</p>	

A
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

